(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2169–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–11–2015 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 31/2015–16/अ–12.

.....

बद्रीप्रसाद आ0 शिवचरण
निवासी ग्राम डोबरा तहसील हुजूर
जिला भोपाल

..... आवेदक

विरूद्ध

अशोक कुमार साहू आ0श्री प्रेमचन्द साहू
निवासी म.नं.34 गल्ला बाजार भोपाल म0प्र0 .....अनावेदक

श्री एम0एल0रघुवंशी, अभिभाषक– आवेदक
श्री सी0एम0विश्वकर्मा, अभिभाषक– अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/8/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–11–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल एक तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम डोबरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 77, 80/1 रकबा कमशः 0.160 एवं 0.080 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक (तहसील न्यायालय) द्वारा प्रकरण कमांक 31/अ–12/2015–16 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 26–11–2015 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 18–11–2015 को सीमांकन किये जाने बावत् सूचना पत्र दिनांक

16–11–2015 को जारी किया गया है जिसकी तामीली आवेदक पर नहीं हुई है और उसके पीठ पीछे किया गया सीमांकन निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन में पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन की कार्यवाही संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर कार्यवाही की गई है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि आवेदक अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से दुखी है तो वह अपनी भूमि का सीमांकन करा सकता है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा दिनांक 18–11–15 को सीमांकन किये जाने बावत् सूचना पत्र दिनांक 16–11–15 को जारी किया गया है, जिसकी तामीली आवेदक पर नहीं हुई है तथा आवेदक के पीठ–पीछे सीमांकन की कार्यवाही की गई है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसील न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को विधिवत् सूचना देकर पुनः सीमांकन की कार्यवाही कर आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 26–11–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर